O/o CE (EITC)
Receipt No. 3211
Date 7 AUG 2016
DGM (IT) / SE (O)
EE.Web
Section ....

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

क्रमांक : 03–11 / डीजीएम–दो / 2795

रायपुर, दिनांक 12 / 08 / 2016

आदेश

पूर्ववर्ती मण्डल के परिपत्र क्रमांक संस.(का) / पीडी–3 / 1680 दिनांक 01.03.02, सहपठित क्रमांक 3564 दिनांक 27.09.04, क्रमांक 01–05 / पीडी–तीन / 1204 दिनांक 28.02.04, क्रमांक 01–04 / पीडी–तीन / 1343 व कमांक 1345 दिनांक 25.03.08 तथा क्रमांक 01–04 / पीडी–छः / 2478 दिनांक 30.07.13 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार पूर्ववर्ती मण्डल (वर्तमान में विद्युत कंपनियों) की सेवा में रहते हुए उत्पादन कंपनी के दिवंगत कर्मचारियों के आश्रित निम्नलिखित आवेदक / आवेदिकाओं को अनुकंपा आधार पर प्रारंभिक तौर पर दो वर्ष के लिये **कार्यभारित कार्यालय सहायक श्रेणी–तीन** के पद पर वेतनमान रूपये 10525–450–15025–675–22450–900–23350 / – के प्रारंभिक वेतन रूपये 10525 / – (रूपये दस हजार पांच सौ पच्चीस) पर नियुक्त कर उन्हें उनके नाम के समक्ष दर्शित कार्यालयों में कार्य पर उपस्थित होने की तिथि से पदस्थ किया जाता है। उन्हें समय समय पर देय महंगाई भत्ते एवं अन्य भत्तों की भी पात्रता होगी :–

क्र0	नाम	पिता / पति / भाई का नाम (मृतक / अक्षम कर्मचारी का नाम)	कार्यालय जहाँ मृतक कर्मचारी पदस्थ था	कार्यालय जिसके अधीन पदस्थ किया जाता है
1	श्रीमती प्रियंका राठौर	स्व.शिवधन राठौर	अधीक्षण यंत्री (संचा.–3), 1X500 मे.वा.कोरबा पश्चिम	कार्यपालन अभियंता (कोल ब्लाक), छ.रा.वि.उ.कं.मर्यादित घरघोड़ा, रायगढ़
2	कुमारी लक्ष्मी गुप्ता	स्व. श्रीमती श्यामा बाई गुप्ता	कार्यपालक निदेशक (वित्त), छ.रा.वि.उ.कं.मर्या. रायपुर	कार्यपालन अभियंता (कोल ब्लाक), छ.रा.वि.उ.कं.मर्यादित घरघोड़ा, रायगढ़

अनुकंपा के आधार पर नियुक्त उपरोक्त आवेदक / आवेदिकाओं को दो वर्ष की लगातार संतोषप्रद सेवा पूर्ण करने के पश्चात् चयन समिति द्वारा नियमित नियुक्ति हेतु विचार किया जायेगा।

यह नियुक्ति पॉवर कंपनी द्वारा समय समय पर निर्धारित किये गये नियमों एवं शर्तों द्वारा नियंत्रित होंगी। इस संबंध में निर्दिष्ट नियमों के अलावा अन्य सभी प्रकरणों में यह नियुक्ति किसी भी पक्ष की ओर से एक माह की सूचना अथवा उसके बदले में सभी भत्तों सहित एक माह के वेतन का भुगतान करने पर समाप्त की जा सकती है।

राज्य शासन / केन्द्रीय शासन अथवा किसी अन्य विभाग द्वारा जारी कोई परिपत्र अथवा ज्ञापन कंपनी द्वारा ग्राहय किये जाने पर अथवा उनके कंपनी पर लागू होने की स्थिति में वे निगम उम्मीदवार को बाध्यकारी होंगे।

नियुक्ति प्राप्त उम्मीदवारों पर पूर्ववर्ती मंडल की अधिसूचना क्रमांक 01–01 / 47 दिनांक 05.09.07 के अनुसार नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

आदेशानुसार

मुख्य अभियंता (मा.सं.)
छ.रा.वि.उत्पादन कंपनी, रायपुर

निरंतर...2

Anukampa.docx 1

पृ.क्रमांक 03–11 / डीजीएम–दो / 2796 रायपुर, दिनांक 12 / 08 / 2016

प्रतिलिपिः–

(01) कार्यपालक निदेशक ( ) छ0स्टे0पॉ0 .... कंपनी लिमि0..................

(02) मुख्य अभियंता ( ) छ0स्टे0पॉ0 .... कंपनी लिमि0 ....

(03) महाप्रबंधक ( ), छ0स्टे0पॉ0 डिस्ट्रीब्यूशन / होल्डिंग कंपनी लिमिटेड रायपुर।

(04) अति0 महाप्रबंधक ( ), छ0स्टे0पॉ0 ....कंपनी लिमिटेड ....

(05) उप महाप्रबंधक (मा0सं0), छ0स्टे0पॉ0ट्रान्स0कं0लिमि0, रायपुर।

(06) अधीक्षण यंत्री (..............................) छ0स्टे0पॉ0 .... कं0लिमि0 ....

(07) कार्यपालन यंत्री (...........................) छ0स्टे0पॉ0 .... कं0लिमि0 ....

(08) क्षेत्रिय / वरिष्ठ लेखाधिकारी छ0स्टे0पॉ0 .... कं0लिमि0 ....

(09) लेखाधिकारी (के0ले0ई0), छ0स्टे0पॉ0...................कं0लिमि0..

(10) स्टाफ आफिसर सम्बद्ध अध्यक्ष छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज लिमिटेड, रायपुर।

(11) स्टाफ आफिसर सम्बद्ध प्रबंध निदेशक छ0स्टे0पॉ0 ....कंपनी लिमिटेड, रायपुर।

(12) श्री / श्रीमती / कुमारी ....

....

–को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु ।

टीप :– मुख्य अभियंता (EITC) कृपया इस आदेश को विद्युत कंपनी की अधिकारिक वेबसाईट में प्रकाशित करें।

1. उक्त उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत मूल आवेदन पत्र संलग्न प्रेषित हैं, जिसे उनके कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके जन्मतिथि एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर लिया [redacted]तिथि का मिलान पांचवी, आठवीं या हाई स्कूल परीक्षा प्रमाण–पत्र से ही किया जावे। [redacted]

2. पुत्र के अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण में मृतक कर्मचारी की विधवा से इस आशय का शपथ–पत्र प्राप्त कर लिया जावे कि उसका पुत्र (विवाहित / अविवाहित) पूर्णतः मृतक के परिवार पर आश्रित है एवं परिवार से अलग नहीं है।

3. पुत्री के अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण में मृतक कर्मचारी की विधवा से इस आशय का शपथ–पत्र प्राप्त कर लिया जावे कि उसकी पुत्री अविवाहित है तथा वह पूर्णतः मृतक परिवार पर आश्रित है एवं परिवार से अलग नहीं है।

4. उम्मीदवारों को कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5. उम्मीदवारों के कार्य पर उपस्थित होते समय उनसे चरित्र सत्यापन प्रपत्र भरा लिया जावे तथा उनसे इस आशय का घोषणा–पत्र प्राप्त किया जावे की यदि चरित्र सत्यापन में उन्हें कंपनी की सेवा / शासकीय सेवा के लिये अयोग्य पाया जाता है तो कंपनी द्वारा उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

6. उम्मीदवारों को आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर कार्य पर उपस्थित होना अनिवार्य है अन्यथा उनकी नियुक्ति संबंधी आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।

7. उम्मीदवारों के कार्यभार ग्रहण की तिथि तत्काल इस कार्यालय को सूचित किया जावे।

निरन्तर 3

8. अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त उपरोक्त उम्मीदवारों के लिये यह आवश्यक होगा की वे कार्यभार ग्रहण करते समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र/अभिलेख इत्यादि अपने साथ अवश्य लायें:—

(i) जन्मतिथि के सत्यापन हेतु हाई स्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु प्रमाण—पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(ii) जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण—पत्र।

(iii) पुत्र/पुत्री के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण में कंडिका 2/3 में दिये गये निर्देशानुसार मृतक कर्मचारी की विधवा को शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(iv) कार्यभार ग्रहण करने के समय उम्मीदवारों को नायब तहसीलदार या उससे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा मृतक कर्मचारी के विधवा के नाम जारी आय प्रमाण—पत्र जिसे आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया है, के मिलान हेतु उसकी मूलप्रति/छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(v) कार्यभार ग्रहण करते समय उम्मीदवारों को यह घोषणा—पत्र देना होगा कि चरित्र सत्यापन में यदि उन्हें कंपनी की सेवा/शासकीय सेवा के लिये अयोग्य पाया जाता है तो कंपनी द्वारा उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती हैं।

- ➢ पैरा 1 से 7 तक संबंधित कार्यालय प्रमुखों के लिये जिनके कार्यालय में नियुक्ति की जा रही है।
- ➢ पैरा 8 नियुक्ति प्राप्त उम्मीदवार के लिए।

मुख्य अभियंता (मा.सं.)
छ.रा.वि.उत्पादन कं.मर्या. रायपुर

O/o CE (EITC)
Receipt No. 3290
Date 17 AUG 2016
DGM (IT) / SE (O)
EE.Web..........
Section ....

सी एस पी जी सी एल
CSPGCL

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

क्रमांक : 03–11 / डीजीएम–दो / 2797 रायपुर, दिनांक 12/ 08 / 2016

आदेश

पूर्ववर्ती मण्डल के परिपत्र क्रमांक संस.(का) / पीडी–3 / 1680 दिनांक 01.03.02, सहपठित क्रमांक 3564 दिनांक 27.09.04, क्रमांक 01–05 / पीडी–तीन / 1204 दिनांक 28.02.04, क्रमांक 01–04 / पीडी–तीन / 1343 व कमांक 1345 दिनांक 25.03.08 तथा कमांक 01–04 / पीडी–छः / 2478 दिनांक 30.07.13 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार पूर्ववर्ती मण्डल (वर्तमान में विद्युत कंपनियों) की सेवा में रहते हुए **उत्पादन कंपनी के** दिवंगत कर्मचारी के आश्रित निम्नलिखित आवेदकों को अनुकंपा आधार पर प्रारंभिक तौर पर दो वर्ष के लिये **कार्यभारित परिचारक श्रेणी–दो (संयंत्र)** के पद पर वेतनमान रूपये 9400–225–10525–450–15025–675–18400 / – के न्यूनतम वेतन रूपये 9400 / – (रूपये नौ हजार चार सौ) पर नियुक्त कर उन्हें उनके नाम के समक्ष दर्शित कार्यालयों में कार्य पर उपस्थित होने की तिथि से पदस्थ किया जाता है। उन्हें समय समय पर देय मंहगाई भत्ते एवं अन्य भत्तों की भी पात्रता होगी :–

क्र0	नाम सर्वश्री	पिता का नाम (मृतक / अक्षम कर्मचारी का नाम)	कार्यालय जहाँ मृतक कर्मचारी पदस्थ था	कार्यालय जिसके अधीन पदस्थ किया जाता है
1.	प्रकाश कुमार उसराठे	स्व.सुखसेन प्रसाद उसराठे	अधीक्षण यंत्री (मा.सं.), डीएसपीएम, कोरबा पूर्व	कार्य.निदे.(उत्पा) 2X500 मे.वा.एमटीटीपीपी, मड़वा
2.	केदार नाथ राठौर	स्व.सीटूराम राठौर	अधीक्षण यंत्री (एम.एम.)–दो, ह.ता.वि.गृह, कोरबा पश्चिम	–तदैव–
3.	राजीव पाटले	स्व.हरिश्चन्द्र पाटले	अधीक्षण यंत्री (संचा.), डीएसपीएम, कोरबा पूर्व	–तदैव–
4.	शमीम सिद्दीकी	स्व.नजीर मोहम्मद सिद्दीकी	अधीक्षण यंत्री (यांत्रिक सुधार)–तीन, ह.ता.वि.गृह, कोरबा पश्चिम	–तदैव–
5.	राकेश यादव	स्व.नारायण प्रसाद यादव	अधीक्षण यंत्री (सिविल) 1X500 मे.वा.कोरबा पश्चिम	–तदैव–
6.	चन्द्रशेखर खुंटे	स्व.मालिक राम	कार्यपालन यंत्री (कोल परिवहन संभाग), केटीपीएस, कोरबा पूर्व	–तदैव–
7.	रविकुमार यादव	स्व.सीताराम	सिविल कॉलोनी सुधार संभाग–दो, डीएसपीएम, कोरबा पूर्व	–तदैव–
8.	सीतेश कुमार साहू	स्व.महावीर प्रसाद साहू	अधीक्षण यंत्री(प्रवर्तन)–एक, 1X500 मे.वा.कोरबा पश्चिम	–तदैव–

अनुकंपा के आधार पर नियुक्त उक्त आवेदकों को दो वर्ष की लगातार संतोषप्रद सेवा पूर्ण करने के पश्चात् चयन समिति द्वारा नियमित नियुक्ति हेतु विचार किया जायेगा ।

निरन्तर...2

यह नियुक्ति पॉवर कंपनी द्वारा समय समय पर निर्धारित किये गये नियमों एवं शर्तों द्वारा नियंत्रित होंगी। इस संबंध में निर्दिष्ट नियमों के अलावा अन्य सभी प्रकरणों में यह नियुक्ति किसी भी पक्ष की ओर से एक माह की सूचना अथवा उसके बदले में सभी भत्तों सहित एक माह के वेतन का भुगतान करने पर समाप्त की जा सकती है।

राज्य शासन/केन्द्रीय शासन अथवा किसी अन्य विभाग द्वारा जारी कोई परिपत्र अथवा ज्ञापन कंपनी द्वारा ग्राह्य किये जाने पर अथवा उनके कंपनी पर लागू होने की स्थिति में वे नियम उम्मीदवार को बाध्यकारी होंगे।

नियुक्ति प्राप्त उम्मीदवार पर पूर्ववर्ती मंडल की अधिसूचना क्रमांक 01–01/47 दिनांक 05.09.07 के अनुसार नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

आदेशानुसार

मुख्य अभियंता (मा.सं.)
छ.रा.वि.उत्पादन कं.मर्या. रायपुर

पृ.क्रमांक 03–11/डीजीएम–दो/2798
प्रतिलिपि:–

रायपुर, दिनांक 12/08/2016

(01) कार्यपालक निदेशक ( ) छ0स्टे0पॉ0 .... कंपनी लिमि0................
(02) मुख्य अभियंता ( ) छ0स्टे0पॉ0 .... कंपनी लिमि0 ....
(03) महाप्रबंधक ( ), छ0स्टे0पॉ0 डिस्ट्रीब्यूशन/होल्डिंग कंपनी लिमिटेड रायपुर।
(04) अति0 महाप्रबंधक ( ), छ0स्टे0पॉ0 ....कंपनी लिमिटेड ....
(05) उप महाप्रबंधक (मा0सं0), छ0स्टे0पॉ0ट्रान्स0कं0लिमि0, रायपुर।
(06) अधीक्षण यंत्री (..............................) छ0स्टे0पॉ0 .... कं0लिमि0 ....
(07) कार्यपालन यंत्री (...........................) छ0स्टे0पॉ0 .... कं0लिमि0 ....
(08) क्षेत्रिय/वरिष्ठ लेखाधिकारी छ0स्टे0पॉ0 .... कं0लिमि0 ....
(09) लेखाधिकारी (के0ले0ई0), छ0स्टे0पॉ0..................कं0लिमि0..
(10) स्टाफ आफिसर सम्बद्ध अध्यक्ष छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज लिमिटेड, रायपुर।
(11) स्टाफ आफिसर सम्बद्ध प्रबंध निदेशक छ0स्टे0पॉ0 ....कंपनी लिमिटेड, रायपुर।
(12) श्री/श्रीमती/कुमारी ....
....
....

–को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु ।

टीप :– **मुख्य अभियंता (EITC) कृपया इस आदेश को विद्युत कंपनी की अधिकारिक वेबसाईट में प्रकाशित करें।**

1. उक्त उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत मूल आवेदन पत्र संलग्न प्रेषित हैं, जिसे उनके कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके जन्मतिथि एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर लिया जावे। जन्मतिथि का मिलान पांचवी, आठवीं या हाई स्कूल परीक्षा प्रमाण–पत्र से ही किया जावे।

2. पुत्र के अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण में मृतक कर्मचारी की विधवा से इस आशय का शपथ–पत्र प्राप्त कर लिया जावे कि उसका पुत्र (विवाहित/अविवाहित) पूर्णतः मृतक के परिवार पर आश्रित है एवं परिवार से अलग नहीं है।

निरन्तर...3

3. उम्मीदवारों को कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण में मृतक कर्मचारी की विधवा से इस आशय का शपथ–पत्र प्राप्त कर लिया जावे कि उसकी पुत्री अविवाहित है तथा वह पूर्णतः मृतक परिवार पर आश्रित है एवं परिवार से अलग नहीं है।

5. उम्मीदवारों के कार्य पर उपस्थित होते समय उनसे चरित्र सत्यापन प्रपत्र भरा लिया जावे तथा उनसे इस आशय का घोषणा–पत्र प्राप्त किया जावे की यदि चरित्र सत्यापन में उन्हें कंपनी की सेवा/शासकीय सेवा के लिये अयोग्य पाया जाता है तो कंपनी द्वारा उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

6. उम्मीदवारों को आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर कार्य पर उपस्थित होना अनिवार्य है अन्यथा उनकी नियुक्ति संबंधी आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।

7. उम्मीदवारों के कार्यभार ग्रहण की तिथि तत्काल इस कार्यालय को सूचित किया जावे।

8. परिचारक श्रेणी–दो (संयंत्र) के पद पर कार्य पर उपस्थिति स्वीकार करने के पूर्व यह ध्यान से देखा जावे कि उम्मीद्वार संयंत्र के कार्य हेतु सक्षम है । उम्मीद्वार की किसी भी तरह की विकलांगता पाए जाने की स्थिति उसकी कार्य पर उपस्थिति स्वीकार न करते हुए प्रकरण इस कार्यालय को उचित निदेशार्थ प्रेषित किया जावे ।

9. अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त उपरोक्त उम्मीदवारों के लिये यह आवश्यक होगा की वे कार्यभार ग्रहण करते समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र/अभिलेख इत्यादि अपने साथ अवश्य लायें:–

   (i) जन्मतिथि के सत्यापन हेतु हाई स्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है।

   (ii) जिला चिकित्सालय के सहायक/सक्षम/अधिकृत चिकित्साधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण–पत्र।

   (iii) पुत्र के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण में उम्मीद्वार को मृतक कर्मचारी की विधवा का यह शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसका वह पुत्र (विवाहित/अविवाहित) जिसे अनुकम्पा नियुक्ति दी गयी है पूर्णतः मृतक के परिवार पर आश्रित है एवं परिवार से अलग नहीं है ।

   (iv) कार्यभार ग्रहण करने के समय उम्मीद्वारों को नायब तहसीलदार या उससे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा मृतक कर्मचारी के विधवा के नाम जारी आय प्रमाण–पत्र जिसे आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया है, के मिलान हेतु उसकी मूलप्रति/छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

   (v) कार्यभार ग्रहण करते समय उम्मीदवारों को यह घोषणा–पत्र देना होगा कि चरित्र सत्यापन में यदि उन्हें कंपनी की सेवा/शासकीय सेवा के लिये अयोग्य पाया जाता है तो कंपनी द्वारा उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती हैं।

- ➢ पैरा 1 से 8 तक संबंधित कार्यालय प्रमुखों के लिये जिनके कार्यालय में नियुक्ति की जा रही है।
- ➢ पैरा 9 नियुक्ति प्राप्त उम्मीदवार के लिए।

मुख्य अभियंता (मा.सं.)
छ.रा.वि.उत्पादन कं.मर्या. रायपुर

O/o CE (EITC)
Receipt No. 3292
Date 17 AUG 2016
DGM (IT) / SE (O)
EE. W.
Section ....

सी एस पी जी सी एल
CSPGCL

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

क्रमांक : 03–11 / डीजीएम–दो / 2799 रायपुर, दिनांक 12/08/2016

आदेश

पूर्ववर्ती मण्डल के परिपत्र क्रमांक संस.(का) / पीडी–3 / 1680 दिनांक 01.03.02, सहपठित क्रमांक 3564 दिनांक 27.09.04, क्रमांक 01–05 / पीडी–तीन / 1204 दिनांक 28.02.04, क्रमांक 01–04 / पीडी–तीन / 1343 व क्रमांक 1345 दिनांक 25.03.08 तथा क्रमांक 01–04 / पीडी–छः / 2478 दिनांक 30.07.13 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार पूर्ववर्ती मण्डल (वर्तमान में विद्युत कंपनियों) की सेवा में रहते हुए **उत्पादन कंपनी के** दिवंगत कर्मचारियों के आश्रित निम्नलिखित आवेदक / आवेदिकाओं को अनुकंपा आधार पर प्रारंभिक तौर पर दो वर्ष के लिये **कार्यभारित भृत्य** के पद पर वेतनमान रूपये 8050–225–10525–450–14575 / – के प्रारंभिक वेतन रूपये 8050 / – (रूपये आठ हजार पचास) पर नियुक्त कर उन्हें उनके नाम के समक्ष दर्शित कार्यालयों में कार्य पर उपस्थित होने की तिथि से पदस्थ किया जाता है। उन्हें समय समय पर देय मंहगाई भत्ते एवं अन्य भत्तों की भी पात्रता होगी :–

क्र.	नाम सर्वश्री / श्रीमती	पिता / पति / भाई का नाम (मृतक / अक्षम कर्मचारी का नाम)	कार्यालय जहाँ मृतक कर्मचारी पदस्थ था	कार्यालय जिसके अधीन पदस्थ किया जाता है
1	सरिता ध्रुव	स्व.गोपाल राम ध्रुव	अधी.यंत्री (ईटीएंडआई)–3 केटीपीएस, कोरबा पूर्व	अति.वरि.चिकित्साधिकारी, कार्या.कार्य.निदेशक (उत्पा) डीएसपीएम, कोरबा पूर्व
2	शुभम कुमार पटेल	स्व.हरिकीर्तन पटेल	वरिष्ठ लेखाधिकारी, ह.ता.वि.गृह कोरबा पश्चिम	कार्यपालन अभियंता (कोल ब्लाक), छ.रा.वि.उ.कं. मर्यादित घरघोड़ा, रायगढ़
3	लक्ष्मीन कंवर	स्व.महेन्द्र कुमार	अधीक्षण यंत्री (संचालन), डीएसपीएम, कोरबा पूर्व	अति.वरि.चिकित्साधिकारी, कार्या.कार्य.निदेशक (उत्पा) डीएसपीएम, कोरबा पूर्व

अनुकंपा के आधार पर नियुक्त उपरोक्त आवेदक / आवेदिकाओं को दो वर्ष की लगातार संतोषप्रद सेवा पूर्ण करने के पश्चात् चयन समिति द्वारा नियमित नियुक्ति हेतु विचार किया जायेगा।

यह नियुक्ति पॉवर कंपनी द्वारा समय समय पर निर्धारित किये गये नियमों एवं शर्तों द्वारा नियंत्रित होंगी। इस संबंध में निर्दिष्ट नियमों के अलावा अन्य सभी प्रकरणों में यह नियुक्ति किसी भी पक्ष की ओर से एक माह की सूचना अथवा उसके बदले में सभी भत्तों सहित एक माह के वेतन का भुगतान करने पर समाप्त की जा सकती है।

राज्य शासन / केन्द्रीय शासन अथवा किसी अन्य विभाग द्वारा जारी कोई परिपत्र अथवा ज्ञापन कंपनी द्वारा ग्राह्य किये जाने पर अथवा उनके कंपनी पर लागू होने की स्थिति में वे नियम उम्मीदवारों को बाध्यकारी होंगे।

नियुक्ति प्राप्त उम्मीदवार पर पूर्ववर्ती मंडल की अधिसूचना क्रमांक 01–01 / 47 दिनांक 05.09.07 के अनुसार नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

आदेशानुसार

मुख्य अभियंता (मा.सं.)
छ.रा.वि.उत्पादन कं.मर्या. रायपुर

निरन्तर...2

पृ.क्रमांक 03–11/डीजीएम–दो/2800 रायपुर, दिनांक 12/08/2016

प्रतिलिपिः–

(01) कार्यपालक निदेशक ( ) छ0स्टे0पॉ0 .... कंपनी लिमि0................
(02) मुख्य अभियंता ( ) छ0स्टे0पॉ0 .... कंपनी लिमि0 ....
(03) महाप्रबंधक ( ), छ0स्टे0पॉ0 डिस्ट्रीब्यूशन/होल्डिंग कंपनी लिमिटेड रायपुर।
(04) अति0 महाप्रबंधक ( ), छ0स्टे0पॉ0 ....कंपनी लिमिटेड ....
(05) उप महाप्रबंधक (मा0सं0), छ0स्टे0पॉ0ट्रान्स0कं0लिमि0, रायपुर।
(06) अधीक्षण यंत्री (..............................) छ0स्टे0पॉ0 .... कं0लिमि0 ....
(07) कार्यपालन यंत्री (............................) छ0स्टे0पॉ0 .... कं0लिमि0 ....
(08) क्षेत्रिय/वरिष्ठ लेखाधिकारी छ0स्टे0पॉ0 .... कं0लिमि0 ....
(09) लेखाधिकारी (के0ले0ई0), छ0स्टे0पॉ0...................कं0लिमि0..................................
(10) स्टाफ आफिसर सम्बद्ध अध्यक्ष छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज लिमिटेड, रायपुर।
(11) स्टाफ आफिसर सम्बद्ध प्रबंध निदेशक छ0स्टे0पॉ0 ....कंपनी लिमिटेड, रायपुर।
(12) श्री/श्रीमती/कुमारी ....
....

–की सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु ।

टीप :– मुख्य अभियंता (EITC) कृपया इस आदेश को विद्युत कंपनी की अधिकारिक वेबसाईट में प्रकाशित करें।

1. उक्त उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत मूल आवेदन पत्र संलग्न प्रेषित हैं, जिसे उनके कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके जन्मतिथि एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर लिया जावे। जन्मतिथि का मिलान पांचवी, आठवीं या हाई स्कूल परीक्षा प्रमाण–पत्र से ही किया जावे।

2 पुत्र के अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण में मृतक कर्मचारी की विधवा से इस आशय का शपथ–पत्र प्राप्त कर लिया जावे कि उसका पुत्र (विवाहित/अविवाहित) पूर्णतः मृतक के परिवार पर आश्रित है एवं परिवार से अलग नहीं है।

3. पुत्री के अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण में मृतक कर्मचारी की विधवा से इस आशय का शपथ–पत्र प्राप्त कर लिया जावे कि उसकी पुत्री अविवाहित है तथा वह पूर्णतः मृतक परिवार पर आश्रित है एवं परिवार से अलग नहीं है।

4. उम्मीदवारों को कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व जिला चिकित्सालय के सहायक/सक्षम/अधिकृत चिकित्साधिकारी से स्वास्थय परीक्षण कराकर स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5. उम्मीदवारों के कार्य पर उपस्थित होते समय उनसे चरित्र सत्यापन प्रपत्र भरा लिया जावे तथा उनसे इस आशय का घोषणा–पत्र प्राप्त किया जावे की यदि चरित्र सत्यापन में उन्हें कंपनी की सेवा/शासकीय सेवा के लिये अयोग्य पाया जाता है तो कंपनी द्वारा उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

7. उम्मीदवारों को आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर कार्य पर उपस्थित होना अनिवार्य है अन्यथा उनकी नियुक्ति संबंधी आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।

8. उम्मीदवारों के कार्यभार ग्रहण की तिथि तत्काल इस कार्यालय को सूचित किया जावे।

निरन्तर...2

9. अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त उपरोक्त उम्मीदवारों के लिये यह आवश्यक होगा की वे कार्यभार ग्रहण करते समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र/अभिलेख इत्यादि अपने साथ अवश्य लायें:–

(i) जन्मतिथि एवं शैक्षणिक योग्यता के सत्यापन हेतु प्रमाण पत्र की मूलप्रति (पांचवीं, आठवीं या हाई स्कूल प्रमाण पत्र) प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(ii) जिला चिकित्सालय के सहायक/अधिकृत चिकित्साधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण–पत्र।

(iii) पुत्र/पुत्री के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण में कंडिका 2/3 में दिये गये निर्देशानुसार मृतक कर्मचारी की विधवा को शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(iv) कार्यभार ग्रहण करने के समय उम्मीदवारों को नायब तहसीलदार या उससे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा मृतक कर्मचारी के विधवा के नाम जारी आय प्रमाण–पत्र जिसे आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया है, के मिलान हेतु उसकी मूलप्रति/छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(v) कार्यभार ग्रहण करते समय उम्मीदवारों को यह घोषणा–पत्र देना होगा कि चरित्र सत्यापन में यदि उन्हें कंपनी की सेवा/शासकीय सेवा के लिये अयोग्य पाया जाता है तो कंपनी द्वारा उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती हैं।

- पैरा 1 से 8 तक संबंधित कार्यालय प्रमुखों के लिये जिनके कार्यालय में नियुक्ति की जा रही है।
- पैरा 9 नियुक्ति प्राप्त उम्मीदवार के लिए।

मुख्य अभियंता (मा.सं.)
छ.रा.वि.उत्पादन कं.मर्या. रायपुर

सी एस पी जी सी एल
CSPGCL

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी मर्यादित

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

क्र. 03–11 / सू.अधि. / 13–17 / 990 रायपुर, दिनांक 06-03-17

प्रति,

श्री अखिलेश श्रीवास,
पुरानी बस्ती कोहडिया कोरबा।

विषयः—सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी विषयक।

संदर्भः—आपका पत्र क्र. निरंक, दिनांक 13.02.2017 एवं इस कार्यालय का पंजीयन क्र. 13–17, दिनांक 17.02.2017।

—::000::—

विषयांतर्गत, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपके उपरोक्त संदर्भित आवेदन के माध्यम से चाही जानकारी के संबंध में अवगत कराया जाता है कि दिनांक 01.11.2014 से 31.01.2017 के मध्य अनुकंपा नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदनों की सूची उपलब्ध नहीं है । जो आवेदन प्राप्त हुए हैं उनका अवलोकन कार्यालयीन दिवस में कार्यालय–मुख्य अभियन्ता (मा.संसा.), छ.रा.वि.उ.कं.मर्या., रायपुर में उपस्थित होकर किया जा सकता है एवं उन दस्तावेजों को चिन्हित करने के उपरांत उनकी छायाप्रति अभिलेख शुल्क भुगतान करने उपरांत प्रदान की जा सकती है।

दिनांक 01.11.2014 से 31.01.2017 के मध्य अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित जारी किये गए आदेश जो कि कुल 09 पृष्ठ में उपलब्ध है संकलित कर लिये गए हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त दस्तावेजों का अवलोकन कर अथवा रु. 2/– प्रति पृष्ठ की दर से कुल 18/– अट्ठारह रूपये मात्र का अभिलेख शुल्क, कार्यालय–मुख्य अभियन्ता (मा.संसा.), छ.रा.वि.उ.कं.मर्या., रायपुर में नगद अथवा डिमांड ड्राफ्ट अथवा पोस्टल ऑर्डर के द्वारा जो कि **"सहायक प्रबंधक (के.ले.ई.), छ.रा.वि.उ.कं.मर्या., रायपुर (Assistant Manager (CAU), CSPGCL, Raipur)"** के नाम से देय हो, भुगतान करने का कष्ट करें ताकि आपको वांछित जानकारी से सम्बन्धित दस्तावेज उपलब्ध कराये जा सके।

(हस्ताक्षर) 06/03/17

(राजीव झा)
जनसूचना अधिकारी, सह प्रबंधक (मा.सं.)
कार्या.— मुख्य अभियंता (मा.संसा.),
छ.रा.वि.उ.कं.मर्या., रायपुर
दूरभाष क्रमांक 0771–2574081

O/o CE (HR)
C.S.P.G.C.L., RAIPUR
Rect. No. 1385
Date 15.2.17

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी
मुख्य अभियंता (मा० सं०)
छ० रा० वि० उत्पा० कं० मर्या० रायपुर
डगनिया रायपुर

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी आवेदन
महोदय,
निवेदन है कि, छ० रा० वि० उत्पा० कं० मर्या० अंतर्गत सभी उत्पादन इकाईयों में अनुकम्पा संबंधी जानकारी दे।
1. दिनांक 1.11.14 से 31.01.17 के मध्य कुल अनुकम्पा नियुक्ति हेतु की सूची प्राप्त आवेदन की सूची नाम, पता व मोबाइल न० के साथ
2. दिनांक 1.11.14 से 31.01.17 तक प्रदान की गयी अनुकम्पा नियुक्ति की सूची नाम, पदनाम नियुक्ति स्थल का नाम व पता
मैं आवेदन शुल्क के रूप में 10रु का पोस्टल आर्डर साथ में भेज रहा हूँ।
कृपया सूचना के अधिकार एक्ट के अनुसार मुझे समस्त जानकारी उपलब्ध करायी जाएं।

संलग्न :- पोस्टल आर्डर क्रमांक- 42F 257099

AGM
DGM-I
DGM-II
DGM-III

दिनांक : 13.02.17

आवेदक
नाम- अखिलेश श्रीवास
पुरानी बस्ती कोहड़िया कोरबा
मो: 8120771200

Speed post